

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अन्वर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अन्वर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अन्वर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... इनका डाक पता

इनका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की
निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम

संख्या पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम है जो संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग में क्रम संख्या पर प्रविष्टि है।

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

पंकज कुमार मंडल

भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद्वारा 09 अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम पंकज किशोर मंडल पिता/माता/पति का नाम स्व. दु. रत्ना मंडल

उसका ठाक पता सा. गोरियाही, पौ. बथनाहा, जिला-अररिया, बिहार

उसका नाम 09 अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 48 फारिसाबाद विधान सभा

(ने समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. 034 में क्रम

संख्या 624 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि है जैसे कि नीचे उद्धृष्ट है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	48 फारिसाबाद	34	144 /	मुकेश कुमार	Mukesh Kumar	02.04.2014
2	"	34	494 /	शंकर चौधरी	Shankar Choudhary	02.04.2014
3	"	34	603 /	विनीत कुमार	Vinit Kumar	02.04.2014
4	"	34	035 /	विनीत कुमार	Vinit Kumar	02.04.2014
5	"	34	307 /	अनुज मंडल	Anuj Mandal	02.04.2014
6	"	34	348 /	सुशांत कुमार	Sushant Kumar	02.04.2014
7	"	34	431 /	वीरज कुमार	Viraj Kumar	02.04.2014
8	"	34	255 /	अनील कुमार	Anil Kumar	02.04.2014
9	"	32	863 /	अनिल कुमार	Anil Kumar	02.04.2014
10	"	32	198 /	संजय दास	Sanjay Das	02.04.2014

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

पंकज किशोर मंडल

भाग - III

मैं ~~अन्य~~ / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 34 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, राष्ट्रपति चुनाव पत्र के अनुसार निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में शुन्य दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में शुन्य दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) आँख रिकशा (ii) गुब्बारा (iii) आलमारी

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/प्रति के नाम की उपर अंकित वर्तनी देवनागरी में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं शुन्य जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस

" उस राज्य में के (क्षेत्र) से संबंधित अनुसूचित जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 02.04.2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पंकज किशोर मंडल

* जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

* * यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

* * * यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III - क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
- (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ/नहीं ✓

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) गणना/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. २५-२५
- (ii) पुलिस स्टेशन २५-२५ जिला (जिले) २५-२५ राज्य २५-२५
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था २५-२५
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) २५-२५
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था २५-२५
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) २५-२५
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया २५-२५
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं २५-२५
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) २५-२५
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) २५-२५

दिनांक ०२.०५.२०१५

स्थान ३१.३.२०१५

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पंडित डिवाइन मंदल

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 03/HP/2014/R.2 यह नाम निर्देशन पत्र गुडो मेरे कार्यालय में
02.04.2014 (तारीख) को 02.52300 बजे को अग्र्यर्थी/प्रत्यक्षक द्वारा दिया गया।

दिनांक 02.04.2014
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।


2.4.2014
रिटर्निंग अधिकारी
09-अररिया संसदीय क्षेत्र
सह-जिला पदाधिकारी, अररिया

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्पत्य
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्पत्य करता हूँ :-

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

“प्ररूप 26”
(नियम 4 क देखिए)

Notary Araria



०१ अररिया संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ०१ अररिया लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं पंकज किशोर मंडल **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. दुरवा मंडल आयु

वर्ष, जो २५०८ अररिया पी.स्ट. बधाना, धाना-जोगवनी

(जीपी बधाना) जिला- अररिया बिहार

(डाके का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

राज नहीं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।✓

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ५४ अररिया लोकसभा विधानसभा बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में

भाग सं. ३५ के क्रम सं. ६२५ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. ९६६१३३७२१२ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो

तो) दुर्गा है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स

(अगर कोई हो) है शुभ

पंकज किशोर मंडल

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रार्थना:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं	नही	नही	नही
2.	पति या पत्नी	नही	नही	नही
3.	आश्रित-1	नही	नही	नही
4.	आश्रित-2	नही	नही	नही
5.	आश्रित-3	नही	नही	नही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	जीमलनी थाना काउन्सिल 146/08, गीतार 24/11/08 जिला - अररिया, राज्य - बिहार.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	143, 144, 150, 353, 323, 341, 431, 109 भा.दं.क्रि. का संक्षेप है कि धरना-प्रदर्शन के कारण कार्य में बाधा व 'बातों करने के सम्बन्ध में'
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	जी पी० के० वरन न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया गीतार 24/11/08 संज्ञान दि० 01/08/2009
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	जी पी० के० वरन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम अपी अररिया.
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	दिनांक 20/05/2010 को अनित्य गहन.
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई है/हैं	नही

2 पंकज विश्वेश्वर मेहन

00000

(ii) निम्नलिखित मामला (मामलें) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

{पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	श्री एस के सोनव न्यायिक दफ्तर, 23/06/2020 श्री आर 1417/08 संज्ञान दि०- 23/06/2020
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	अ-द्व 455 323, 341, 504/34 आ०२०वि० आ०२० वि० 341/2020 के संज्ञान के लिए प्रेषित।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है: ✓

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है: नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुनक
(ग)	अधिरोपित दंड	शुनक
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।



टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	100000=00	50000=00	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	411-80	500-00	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वाट /पोत (मिक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(viii)	कोई अन्य आश्रितया जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं	शु-यं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	100911=80	51500=00	शु-यं	शु-यं	शु-यं



आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तरा वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	अनुमानित बाजार मूल्य	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१	२६-२१



	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	प्लॉट नं. १६९, गीता भविष्यी, २०१२/२२, प्लॉट नं. १६९, गीता भविष्यी	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	११०० वर्ग फुट	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	५०० वर्ग फुट	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(v) का कुल चालू बाजार मूल्य	प्लॉट नं. १६९, गीता भविष्यी	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के व्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	श्री. लोकेश्वर, २०१२/२२, प्लॉट नं. १६९, गीता भविष्यी	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिओं, निकाय को ऋण या शोध्य	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१
	कोई अन्य दायित्व	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१	२५-२१

	दायित्वों का कुल योग	50000 रुपये	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
(ii)	सरकारी शोध: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	आय-कर शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	धनकर शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	सेवाकर शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	विक्रयकर शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
	कोई अन्य शोध	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा	शु.रा

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) रवयं गृहस्थी कृषि कार्य

(ख) प्रति या पत्नी शुद्धी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

वर्ष 1994 ई० में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार द्वारा आयोजित
परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण - ली एकेडमी फारवर्डिंग अररिया, बिहार से

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल पंकज किशोर मंडल				
2	डाक का पता	शा.प. गटिचारी, पोस्ट- लक्ष्मण थाना-जोगवनी, जिला- झारखंड राज्य- बिहार.				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	पु.प. फारमिसगंज विधानसभा क्षेत्र- बिहार (09 झारखंड संसदीय क्षेत्र)				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	एक- जी.आर. 2471/2008				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	एक- जी.आर. 1417/2008				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	नहीं	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	नहीं	शून्य	शून्य		
	(क) आश्रित	नहीं	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थायी आस्तियां	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य



	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य)	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50000.00	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50000.00	₹-25	₹-25	₹-25	₹-25
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	नहीं.				
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



9 पंडित विश्वेश्वर मंडल

Card



Notary Araria (Bihar) सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अगिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 02/04/2014 को सत्यापित किया गया।

Identified by Pankaj Kishor Mandal
Associate solemnly affirmed
and declare before me. A.K. Verma
02/04/2014
Danjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Identified by
Jovan Pr Verma
02/04/2014

पंकज किशोर मंडल
अगिसाक्षी

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रुमार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी रगार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



पंकज किशोर मंडल

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9661337212



मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

पं. वि. मंडल